न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण I (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 223 / 2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :–** 2025 / 516
दायर दिनांक :– 17.09.2025 **निर्णय दिनांक :–** 21.12.2025

1. तुलसी कंवर पुत्री किशनसिंह जाति राजपूत निवासी जैमला तहसील बाप जिला फलोदी

वादी.......

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादिनी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आश्य से पेश किया कि वादिनी की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 153 / 3 रकबा 2.4281 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 412 रकबा 63.6246 हैक्टेयर (467 / 23583 हिस्सा) भूमि सरहद मौजा जैमला पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप में स्थित है। जमाबंदी सम्वत 2077–2080 संलग्न वाद पेश है। उक्त भूमि पूर्व में वादिनी के पिता किशनसिंह पुत्र चतरसिंह के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। जब वादिनी के पिता किशनसिंह पुत्र चतरसिंह फौत हुवे तो मुतवफी किशनसिंह के फौतेदगी का नामान्तरकरण संख्या 760 व 789 मौला जैमला भरा जाकर स्वीकृत हुआ, लेकिन पटवारी हल्का द्वारा उक्त नामान्तरकरण भरते समय वादिनी का नाम अपनी मनमर्जी से धनुकंवर पुत्री किशनसिंह दर्ज कर दिया जबकि वादिनी का सही एवं वास्तविक नाम तुलसी कंवर पुत्री किशनसिंह है। इसी नाम से ही वादिनी के पहचान संबंधित दस्तावेज परिचय पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड, भामशाह कार्ड आदि बने हुवे है तथा वादिनी को इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में वादी का नाम धनुकंवर पुत्री किशनसिंह दर्ज होने से वादिनी को के.सी.सी ऋण प्राप्त करने व अन्य कृषि संबंधित कार्य करने में भंयकर समस्याओं का सामना पड़ रहा है। वादिनी ने दिनांक 20.08.2025 को अपना नाम सही करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रतिवादी के समक्ष प्रस्तुत किया तो प्रतिवादी ने वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करने से मना कर दिया तथा समक्ष न्यायालय में चाराजोही करने को कहा, इसलिये वादिनी ग्राम जैमला के उपरोक्त वर्णित खसरान् में दर्ज अपने गलत नाम धनु कंवर पुत्री किशनसिंह के स्थान पर अपने सही एवं वास्तविक नाम तुलसी कंवर पुत्री किशनसिंह के नाम खातेदारी की घोषणा करवाने की अधिकारिणी है। वादग्रस्त भूमि में वादिनी के अलावा अन्य सहखातेदार है लेकिन उक्त वाद के

Satya..
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

निर्णय से अन्य सहखातेदारान के हक व हिस्सा पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसलिये इनको पक्षकार बनाये वगैर ही उक्त वाद पेश किया जा रहा है।

वादिनी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार बाप ने जवाब में कथन किया कि ग्राम जैमला पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 153/3 रकबा 2.4281 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 412 रकबा 63.6246 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में वादिनी के पिता किशनसिंह पुत्र चतरसिंह के नाम दर्ज थी। किशनसिंह पुत्र चतरसिंह के देहान्त होने पर वक्त विरासत नामान्तरकरण जिसमें वादिनी का नाम धनुकंवर पुत्री किशनसिंह दर्ज कर दिया जो वर्तमान जमाबंदी में चला आ रहा है जबकि वाद के साथ पेश पहचान दस्तावेजात में वादिनी का नाम तुलछी कंवर पुत्री किशनसिंह है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार वादिनी का नाम धनुकंवर पुत्री किशनसिंह के स्थान पर तुलसी कंवर पुत्री किशनसिंह दर्ज किये जाने का श्रम करावें। वादिनी ने अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया इनके बयान गवाह पी.डब्लू–1 कलमबद्व, वादिनी की माता के बयान गवाह पी.डब्लू–2, करणीसिंह पुत्र खिंवसिंह के बयान गवाह पी.डब्लू–3 कलमबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादी की और से वाद का विरोध नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गई। पत्रावली बहस में रखी गयी।

अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 220 व 115 ग्राम जैमला पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 153/3 रकबा 2.4281 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 412 रकबा 63.6246 हैक्टेयर स्थित है। वादिनी का नाम राजस्व अभिलेख जमाबंदी में धनु कंवर पुत्री किशनसिंह दर्ज है। वादिनी का नाम धनु कंवर विरासत नामान्तरकरण के जरिये दर्ज किया गया। वादिनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, जन आधार, राशन कार्ड इत्यादि से साबित है कि वादिनी का नाम तुलसी कंवर पुत्री किशनसिंह है। वादिनी के बयान गवाह पी.डब्लू–1 में आधार कार्ड की फोटो प्रति प्रदर्श–1ए, विक्रय पत्र दिनांक 23.05.2022 की फोटो प्रति प्रदर्श–2ए, जन आधार कार्ड की फोटो प्रति प्रदर्श–3ए, वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2076–2079 प्रदर्श–4 व प्रदर्श–5, नामान्तरकरण संख्या 789 मौजा जैमला प्रदर्श–6, नामान्तरकरण संख्या 762 मौजा जैमला प्रदर्श–7 है। वादिनी के बयान में अंकित प्रदर्श दस्तावेजों अनुसार वादिनी को धनूकंवर पुत्री किशनसिंह के स्थान पर तुलसी कंवर पुत्री किशनसिंह के नाम से खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादिनी ने अपने वाद को साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजात एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये है। अतः वादिनी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादिनी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम जैमला पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 153/3 रकबा 2.4281 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 412 रकबा 63.6246 हैक्टेयर भूमि में वादिनी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम धनूकंवर पुत्री किशनसिंह के स्थान पर तुलसी कंवर पुत्री किशनसिंह के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रविष्टयां यथावत दर्ज रहेगी। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। डिक्री पर्चा अलग से मुर्तिब हो। मिसल फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

Satya..

(सत्य नारायण–I, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

1. तुलसी कंवर पुत्री किशनसिंह जाति राजपूत निवासी जैमला तहसील बाप जिला फलोदी

वादी.......

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 223/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सत्य नारायण–I पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्दसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम जैमला पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 153/3 रकबा 2.4281 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 412 रकबा 63.6246 हैक्टेयर भूमि में वादिनी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम धनूकंवर पुत्री किशनसिंह के स्थान पर तुलसी कंवर पुत्री किशनसिंह के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रविष्टयां यथावत दर्ज रहेगी। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे।नीचे

मुतालिक
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
वसूल याबी तक

बाबत्
फीस सदी सालाना आज की तारीख
को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21.12.2025 को जारी की गई।

Satya..

(सत्य नारायण–I ...)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चें के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।